भारतीय गैर न्यायिक

रु 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 558164

नियमावली

1. कार्यक्षेत्र– जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर उत्तर प्रदेश सहित सम्पूर्ण भारत वर्ष।
2. संस्था के उद्देश्य– न्यास विलेख में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार।
3. संस्था की सदस्यता– न्यास मण्डल के मुख्य न्यासी/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष व न्यासी, साधारण सभा के सदस्य माने जायेंगे।
4. सदस्यता– किसी भी सदस्य की सदस्यता निम्नलिखित कारणों से स्वतः समाप्त हो जायेगी–
(अ) सदस्य की मृत्यु हो जाने पर।
(ब) पागल व दिवालिया हो जाने पर।
(स) किसी अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
(द) संस्था के नियमों का पालन न करने पर।
(य) संस्था के हितों के विरुद्ध कार्य करने पर।
(र) लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
(ल) त्याग पत्र स्वीकार हो जाने पर।
(व) अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर।
(श) मुख्य न्यासी/ मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही पर।
5. संस्था के अंग– संस्था के निम्नलिखित दो अंग होंगे–
1. साधारण सभा   प्रबन्ध समिति
6. साधारण सभा–
(अ) न्यास के मुख्य न्यासी/ मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष व न्यासी/ट्रस्टी संयुक्त रूप से साधारण सभा के सदस्य होंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, न्यासी के अतिरिक्त भी किसी व्यक्ति को साधारण सभा का सदस्य/ट्रस्टी नियुक्त/ नामित कर सकता है।
(ब) बैठकें– साधारण सभा की सामान्य बैठक 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक तीन (3) दिन पूर्व लिखित सूचना देकर बुलायी जा सकती है।
(स) गणपूर्ति– साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्यों का 60% एवं [illegible] अतिरिक्त सदस्य/ट्रस्टी की उपस्थिति आवश्यक होगी किन्तु कोरम के अभाव में स्थगित सभा की आहूत बैठक के लिए कोरम का प्रतिबन्ध न होगा एवं समयावधि का भी प्रतिबन्ध न होगा लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्ववत ही रहेंगे।

Manager
Phool Chand Singh [illegible]
[illegible]
[illegible] T.S.L. [illegible]

(15)